भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
(हिन्दी अनुभाग)
*****

ब्लॉक सं.14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषयः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कलेन्डर वर्ष 2020 के दौरान हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं अनूदित पुस्तकों को प्रोत्साहन देने के लिए 'अक्षय ऊर्जा पुरस्कार योजना'- एक संक्षिप्त विवरण।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही 'अक्षय ऊर्जा पुरस्कार योजना' के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर कलेन्डर वर्ष 2020 के दौरान हिन्दी में लिखी गई/अनूदित पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा:-

1. सौर तापीय ऊर्जा
2. पवन ऊर्जा
3. सौर प्रकाशवोल्टीय
4. बायोमास
5. बायोगैस
6. बायोऊर्जा
7. उन्नत प्रकार के चूल्हे
8. ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत

2. इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-*

(क) हिन्दी में मूल रूप से लिखी गई पुस्तकों के लिए -

प्रथम पुरस्कार : 1,00,000/- रु.
द्वितीय पुरस्कार : 60,000/- रु.
तृतीय पुरस्कार : 40,000/- रु.

(ख) हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए -

प्रथम पुरस्कार : 50,000/- रु.
द्वितीय पुरस्कार : 30,000/- रु.
तृतीय पुरस्कार : 20,000/- रु.

(*मौलिक और अनूदित पुस्तकों के लिए अलग-अलग पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे और पुरस्कारों की संख्या केवल 3 है।)

3. **पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए पात्रता :-**

(1) सभी वैज्ञानिक विभागों में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों सहित सभी भारतीय नागरिक इस स्कीम में भाग ले सकेंगे।

(2) इस योजना में प्रकाशित पुस्तकों और पाण्डुलिपियों दोनों पर विचार किया जाएगा।

(3) पाठ्यपुस्तकों, अर्थात् ऐसी पुस्तकें जिन्हें विशिष्ट रूप से कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है तथा बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों को इस प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाएगा।

(4) जिन लेखकों की पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर कापीराइट बना रहेगा।

(5) जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले पेश किया जा चुका होगा उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। लेखकों को आवेदन पत्र के साथ अपने प्रकाशित ग्रंथ अतवा पांडुलिपि की साफ टाइप की गई प्रतियाँ (न्यूनतम 6 प्रतियाँ) प्रस्तुत करनी होंगी। साफ टाइप न की गई प्रतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

(6) इस विभाग को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियमों का निर्माण करने का एकमात्र अधिकार होगा।

(7) जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उनको पुरस्कार के वर्ष से पिछले पांच वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए।

(8) पांडुलिपियों को इस प्रतियोगिता योजना के लिए उसी सूरत में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा यदि उनके साथ लेखक की यह लिखित वचनबद्धता आती है कि अगर उसकी पांडुलिपि को पुरस्कार के लिए चुन लिया गया तो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाने की सूचना मिलने के 6 मास के भीतर इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि पुस्तक के प्रकाशन के बाद दी जाएगी।

(9) जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के प्रशासन की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका होगा उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(10) हरेक लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक विषय के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।